न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

पीठासीन अधिकारी : दमयंती कंवर
(आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 13/2021 दायरा दिनांक–01–04–2021

1. दिनेश कुमार पुत्र परसराम मिश्रा, जाति ब्राहमण निवासी रेल्वे स्टेशन के पास वार्ड नम्बर 04 नवलगढ़ जिला झुन्झुनू (राज.)
2. पवन कुमार पुत्र परसराम मिश्रा, जाति ब्राहमण निवासी रेल्वे स्टेशन के पास वार्ड नम्बर 04 नवलगढ़ जिला झुन्झुनू (राज.)

– आवेदकगण

– :: बनाम ::–

1. आनन्दी देवी पत्नी परसराम मिश्रा
2. परसराम मिश्रा पुत्र स्व0 मोहनलाल
3. विजेन्द्र कुमार पुत्र परसराम
4. अंशु मिश्रा पुत्र विजेन्द्र कुमार
5. अंकूर मिश्रा पुत्र विजेन्द्र कुमार
   समस्त जातिगण ब्राहमण निवासी रेलवे स्टेशन के पास वार्ड नम्बर 04 नवलगढ तहसील जिला झुन्झुनू राजस्थान हाल आबाद अनबॉय पलेट 204 यू.डी.बी. स्काई–वे अपार्टमेन्ट, मुरलीपुरा सीकर रोड़ जयपुर।
6. भूमि धारक राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

–अनावेदकगण

वकील आवेदक : – श्री अमर सिंह शेखावत
वकील अनावेदकगण :– श्री विप्लव पंडित

प्रार्थना पत्र
अस्थाई निषेधाज्ञा

–:: आदेश ::–

दिनांक 13–01–2022

आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा में संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि :–

प्रार्थना पत्र में आवेदकगण एवं अनावेदक संख्या 3 सगे भाई है तथा अनावेदक संख्या 1, 2 आवेदकगण व अनावेदक संख्या 3 के माता–पिता है। आवेदकगण व अनावेदक संख्या 3 ने जब से होश सम्भाला तब से माता–पिता उम्र दराज होने के कारण में सांझा में व्यापार जो मिश्रा ट्रेवल्स के नाम से बसों का धन्धा (व्यापार) चालू कर रखा है जो आज भी सांझा मे चल रहा है तथा इससे जो आय हुई उससे शामलाती रूप से आगे बढ़ते रहे। आज भी परिवहन का कार्य शामलाती रूप से करते चले आरे है तथा लगभग 40–45 वर्ष से गाड़ियों/परिवहन का धन्धा करते आ रहे है।

(क) शामलाती व शामलाती परिवार की आय से वाके ग्राम झाझड मे 05 मई 2005 को श्यामसुन्दर पुत्र झाबरमल झाझडिया जाति महाजन तथा मंगतूराम पुत्र श्री निवासी झाझडिया जाति महाजन निवासी झाझड हाल कलकता की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 628 रकबा 1.42 हैक्टर से अनावेदक नम्बर 02 जो वादीगण के पिता है। अनावेदक नम्बर 02 के साथ आवेदकगण कलकता जाकर वैद्य प्रतिफल अदा कर मुख्त्यारनामा अपने पिता यानी अनावेदक संख्या 2 के हक में दिनांक 05.04.2005 को तैयार करवाया। संयुक्त हिन्दु अविभाजित परिवार होने के कारण परिवार में कोई पारिवारिक विवाद नही हो आवेदकगण तथा अनावेदक संख्या 3 माता स्नेह, सामान्य स्थिति में परिवार का पारिवारिक विवाद नही हो इसके लिए अनावेदक संख्या 02 द्वारा अनावेदक 1 के पक्ष में भूमि खसरा नम्बर 628 रकबा 1.42 हैक्टर में से 1/2 हिस्सा यानि 0.71 हैक्टर का नुमाईशी रूप से विक्रय पत्र उप पंजीयक कार्यालय नवलगढ़ में दिनांक 05.05.2005 को तस्दीक करवाया, जिसकी खातेदारी अनावेदक संख्या 1 के पक्ष में चली आ रही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 12:40:12 IST
Reason: SelfAttested

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ

(4)

(ख) आवेदकगण व अनावेदक संख्या 3 ने शामलाती व्यवसाय तथा संयुक्त अविभाजित हिन्दू परिवार होने के कारण से महादेव पुत्र बसन्तीलाल जाति ब्राहमण निवासी झाझड़ से उसकी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 843 रकबा 1.42 हैक्टर, खसरा नम्बर 1737/437 रकबा 0.20 हैक्टर, खसरा नम्बर 1765/902 रकबा 0.60 हैक्टर कुल किता 03 कुल रकबा 2.22 हैक्टर में से खसरा नम्बर 843 रकबा 1.42 हैक्टर का बिल एवज कीमत 2,00,000/– रूप्ये अक्षरे दो लाख रूपये मात्र शामलाती प्रतिफल अदा कर दिनांक 16.12.2008 को अनावेदक संख्या 1 के पक्ष में विक्रय पत्र उप पंजीयक कार्यालय नवलगढ़ में तस्दीक करवा दिया ताकि आवेदकगण तथा आवेदक संख्या 03 के मध्य कोई मनमुटाव पारिवारिक विवाद नही हो।

नोटःआवेदकगण तथा अनावेदक संख्या 3 की माता–पिता अनावेदक संख्या 01 व 02 वृद्ध है, तथा अनावेदक संख्या 1 घरेलू महिला होने के साथ–साथ अनावेदक संख्या 1 की स्वयं के कोई आय का स्त्रोत नही है। इस प्रकार उपरोक्त दोनों विक्रय–पत्र की भूमि का प्रतिफल आवेदकगण एवं अनावेदक संख्या 3 द्वारा संयुक्त रूप से सांझा व्यापार से प्राप्त आय से क्रय की गई है। इस प्रकार से उपरोक्त वर्णित क्रयशुदा भूमि में आवेदकगण तथा अनावेदक संख्या 3 संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार है तथा आज भी काबिज है। जिनका 1/3–1/3 हिस्सा है। अनावदेक संख्या 1 को यह भी ज्ञान नही है कि उपरोक्त भूमि कहां पर है, आपस में किसी प्रकार के हिन्दू अविभाजित संयुक्त परिवार समझौते के अनुसार छायां के रूप में अनावेदक संख्या 1 के नाम से विक्रय पत्र तस्दीक करवाया। शायद उनको यह भी ज्ञान नही है कि मेरे नाम से कोई भूमि क्रय की गई है।

अनावदेक संख्या 3 बच्चो की पढाई लिखाई के लिए परिवार सहित जयपुर में निवास करने लग गया तथा शामलाती परिवार की बसे जो झुन्झुनू–जयपुर चलती है की देखरेख करने के साथ–साथ जयपुर को आय–व्यय का हिसाब रखने लग गया। प्रत्येक माह के अन्तिम दिवस में आपस में आय–व्यय का आदान–प्रदान करते चले आ रहे है। अविभाजित संयुक्त हिन्दू परिवार की आय से सम्पूर्ण घरेलू खर्चा तथा सभी परिवार के बच्चों की पढ़ाई लिखाई का कार्य करते आ रहे है। आज तक भी अविभाजित हिन्दु परिवार है। उपरोक्त वर्णित क्रय शुदा भूमि अविभाजित हिन्दु परिवार की सम्पति है जो अविभाजित संयुक्त हिन्दु परिवार की सामलाती आय से क्रय की गई है जिसमें सभी (आवेदकगण व अनावेदक संख्या 3) का बराबर–बराबर हिस्सा है तथा शामलाती कब्जे काश्त व स्वामित्व की भूमि है परन्तु अनावेदक संख्या 1, 2 को माह मार्च 2020 में लोक–डाउन लगने पर तथा उचित इलाज की व्यवस्था होने के कारण से अनावेदक संख्या 3 जयुपर अपने पास ले गया। इस गत एक वर्ष के दौरान अनावेदक संख्या 3 के मन में बेईमानी आ गई तथा अनावेदक संख्या 1 व 2 काफी उम्र दराज होने के कारण से सोचन–समझने, अपना भला बुरा आदि की शक्ति क्षीण होने के कारण से बाला–बाला व धोखे में रखकर मानसिक स्थिति ठीक नही होने का गलत फायदा उठाकर बाला–बाला भूमि खसरा नम्बर 628 ग्राम झाझड़ हाल भैरूबास पटवार हल्का झाझड़ की सरहद में अवस्थित भूमि का दान–पत्र दिनांक 24.03.2021 को अनावेदक संख्या 1 के द्वारा अनावेदक संख्या 5 के पक्ष में तस्दीक करवा दिया तथा ईसी प्रकार ग्राम झाझड़ में स्थित भूमि खसरा नम्बर 843 रकबा 1.42 हैक्टर का अनावेदक संख्या 4 के पक्ष में दिनांक 24.03.2021 को जयपुर से बाला–बाला ऑनलाईन पंजीयन करवाया गया। अनावदेक संख्या 03 ने उक्त उपहार पत्र अपने पुत्र अनावेदक संख्या 04 व 05 के पक्ष में गलत तैयार करवाकर आवेदकगण को उनके वैद्य अधिकारों से वंचित करने के उदेश्य तथा हक–हकूक व शामलाती आय से क्रयशुदा भूमि वादग्रस्त होने के कारण से आवेदकगण के अधिकारों पर प्रतिकूल असर पड़ता है हालांकि उक्त तथाकथित गलत बने उपहार–पत्र से अनावेदक संख्या 04 व 05 को कोई अधिकार प्राप्त नही होता है चूकि हिन्दू अविभाजित परिवार [illegible] रूप से संयुक्त आय से क्रय की गई वादग्रस्त भूमि है, तथा हिन्दू उतराधिकार [illegible] होने के कारण से तथा अविभाजित परिवार की सम्पति जरिये उपहार के हस्तान्तरण करने का कोई अधिकार नही होने के कारण से आवेदकगण अपने 2/3 हिस्से की खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने के लिए न्यायालय मे प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 12:10:12 IST
Reason: SelfAttested

अनावेदक संख्या 1 व 2 का उम्र दराज होने का गलत फायदा उठाकर अनावेदक संख्या 03 लगायत 5 ने बाला–बाला अविभाजित परिवार की सम्पति जो शामलाती रूप से क्रय की थी तथा शामलाती

ए.सी.ई.एम.(फा.ट्रे.)
नवलगढ़

रूप से प्रतिफल अदा किया था, सामलाती रूप से काबिज काश्त करते चले आ रहे है जिस पर शामलाती रूप से स्वामित्व चला आ रहा है। दोनो गलत उपहार पत्र दिनांक 24.03.2021 आवेदकगण के वैद्य अधिकारों के खिलाफ शुन्य होने के कारण से तथा बिना कब्जा दिये दोनो उपहार पत्र में कब्जा देने का गलत तथ्य अंकित किया है। इसलिये आवेदकगण के वैद्य अधिकारों के खिलाफ बने दोनों उपहार पत्र दिनांक 24.03.21 का दस्तावेज आवेदकगण के वैद्य अधिकारों के खिलाफ होने के कारण से वोईड घोषित किये जावें, इसलिये आवेदकगण द्वारा अपने वैद्य अधिकारो की रक्षार्थ हेतु प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत करना आवश्यक किया है।

अनावेदक नं. 3 लगायत 5 की नियत में खोट आ गया। गलत बने उपहार–पत्र दिनांक 24.03.21 की आड़ में आवेदकगण के वादग्रस्त भूमि से भौतिक कब्जे को हटाने के लिए अवैधानिक प्रक्रिया अपनाने पर आमादा है, किसी भी प्रकार से वादग्रस्त भूमि को वेस्ट एण्ड डेमेज कर सकता है। इसलिये आवेदकगण को दिनांक 27.03.2021 को इस आशय की धमकी दी कि हमने उपहार–पत्र मेरे लड़को के नाम से दिनांक 24.03.2021 को तस्दीक करवा लिया है। नामान्तरण दर्ज होते ही भूमि को बेच दूंगा, तुम्हारे याद आये वो कर लेना। इसके बाद तमाम दस्तावेजात् की नकल प्राप्त करने तथा अनावेदक नं. 3, 4, 5 द्वारा धमकी देने तथा संख्याबल के आधार पर कब्जा करने पर आमादा है। आवेदकगण को किसी भी क्षण लाठी के बल पर बेकब्जा करने पर आमादा है। अगर अनावेदकगण नं. 3 लगायत 5 अपनी नाजायज मंशा में सफल हो गये तो वादीगण को वाद करना ही व्यर्थ हो जावेगा, साथ ही साथ अपने वैद्य अधिकारो से वंचित होना पड़ेगा। आर्थिक नुकसान इतना अधिक होगा कि जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से रूपये में होना सम्भव नहीं है। आवेदकगण का प्रार्थना–पत्र प्रथम दृष्टया मजबूत आधारो पर है तथा सुविधा का संतुलन भी आवेदकगण के पक्ष में है, अपूर्णीय क्षति भी आवेदकगण को हो रही है। इसलिये अनावेदक नं. 3 लगायत 5 को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें कि किसी वादग्रस्त भूमि में किसी भी भू–भाग पर न तो गलत बने उपहार–पत्र की आड़ में न तो स्वयं कब्जा करें, ना ही अपने नातेदार रिश्तेदार, नौकर चाकर से ऐसा करावें, ना ही भूमि को वेस्ट एण्ड डेमेज करें, ना **एलाईज** करें। गलत उपहार–पत्र की आड़ में न तो स्वंय इकरारनामा, बेनामा अथवा विक्रय–पत्र आदि किसी प्रकार से न तो स्वंय करें, ना ही अन्य किसी से ऐसा करावे। शांतिपूर्वक उपभोग उपयोग करने देंवे, ना ही आवेदकगण को लाठी के बल पर कब्जे से न तो स्वंय बेदखल करें, ना ही अन्य किसी से ऐसा करावें। किसी भी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वंय करें, ना ही अन्य किसी से करावें। मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करें।

आवेदकगण का प्राईमाफैसी मामला मजबूत है, सुविधा का संतुलन आवेदकगण के पक्ष में है। अगर आवेदकगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार नहीं होगा तो आवेदकगण को अपूर्णीय क्षति होगी।

आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष के संबंध में निवेदन किया कि ताफैसला दावा अनावेदक नं. 3 लगायत 5 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि वाके ग्राम भैरूबास पटवार हल्का झाझड़ में खसरा नम्बर 628 रकबा 0.70 हैक्टर जिसकी खातेदारी अनावेदक नं. 1 के पक्ष में चली आ रही है तथा महादेव पुत्र बसन्तीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी झाझड़ से उसकी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 843 रकबा 1.42 हैक्टर जिसकी खातेदारी अनावेदक नं. 1 के पक्ष में चली आ रही है जिस पर शामलाती रूप से कब्जाकाश्त तथा स्वामित्व की होने के कारण गलत बने उपहार पत्र दिनांक 24.03.2021 की आड़ में इकरारनामा, नोटेरी के द्वारा स्वंय विक्रय करें, न ही अन्य किसी से करवायें, ना ही अनावेदक नं. 3 लगायत 5 किसी भी प्रकार का किसी भी व्यक्ति से सौदा, इकरारनामा करें, ना ही अपने अधिनस्थ से ऐसा करवाये। आवेदकगण के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की कोई दखलन्दाजी उत्पन्न नहीं करें, शांतिपूर्वक आवेदकगण को उपभोग उपयोग करने देवें, मौके तथा [illegible] यथास्थिति बनाये रखें।

आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र [illegible] अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी अनावेदकगण जारी की गई। अनावेदक संख्या 01 लगायत 05 की ओर से वकील श्री विप्लव पंडित उपस्थित न्यायालय आये। तथा अनावेदक [illegible] ने आवेदक के प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने के निवेदन कि साथ जवाब प्रार्थना पत्र बिन्दुवार इस पेश किया कि :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 12:10:12 IST
Reason: SelfAttested

ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.)
नवलगढ

प्रार्थना–पत्र की मद संख्या 1 जिस प्रकार से दर्ज है, गलत होने से अस्वीकार है। आवेदकगण ने बहुत ही कमजोर आधारो पर उक्त प्रार्थना–पत्र पेश किया है, जिसमें आवेदकगण को सफलता मिलने की कोई गुंजाईश नहीं है। प्रार्थना–पत्र खारीज होने योग्य है।

प्रार्थना–पत्र की मद संख्या 2 जिस प्रकार से दर्ज है, गलत होने से अस्वीकार है। आवेदक नं. 2 अनावेदक नं. 1 व 2 की औरस संतान है, परन्तु बाल्य अवस्था में ही जब आवेदक नं. 2, 10 वर्ष का था तब अपने चाचा रामवतार मिश्रा व चाची शशिकंला के यहां अनावेदक नं. 1 व 2 की समहति से दत्तक देने व लेने की रश्म अदा करके दत्तक अनुष्ठान का आयोजन करके दत्तक की गिविंग व टेकिंग की हिन्दु धर्म की परम्परा व रश्मों के अनुसार दत्तक चला गया तब से आवेदक नं. 2 श्री रामवतार व शशिकंला का दत्तक पुत्र है, इनके पैत्रिक आवासीय मकान व जमीन जो ग्राम झाझड़ में है, निवास करता है तथा श्री रामवतार जी की कृषि भूमि को काश्त करता है। आवेदक नं. 2 की ग्राम झाझड़ का परिवार राशन कार्ड जारी है, जिसमें स्पष्ट रूप से पिता का नाम रामवतार व माता शशिकंला दर्ज है तथा राजस्थान सरकार द्वारा जारी मतदाता सूची में भी पिता का नाम रामवतार दर्ज है जो स्पष्ट उक्त तथ्य की ताईद करता है कि पवन कुमार श्री रामवतार जी व शशिकंला का दत्तक पुत्र है। श्री रामवतार जी की मृत्यु होने पर तमाम क्रियाक्रम भी पवन कुमार ने ही किये है, परन्तु प्रार्थना–पत्र गलत रूप से अनावेदक नं. 1 व 2 का पुत्र दर्ज करके उक्त प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है, जिस दिन आवेदक नं. 2 दत्तक चला गया उस दिन से अनावेदक नं. 1 व 2 से मात्र ताऊ व ताई का संबंध है, पिता पुत्र का संबंध नहीं है, जहां तक आवेदकगण का दर्ज कथन कि आवेदकगण व अनावेदकगण नं. 3 ने होश संभाला.........धन्धा करते आ रहे है, गलत होने से अस्वीकार है। आवेदकगण का अनावेदक नं. 3 के साथ कोई सांझा व्यापार नहीं है, ना ही व्यापार से हुई आय से आगे बढते रहे है, मात्र प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने की गरज से उक्त कथन दर्ज किये गये है। अनावेदक नं. 3 का अलग व्यापार है तथा आवेदकगण भी अलग–अलग व्यापार करते है। अनावेदक नं. 3 की स्वंय की गाड़ियां है तथा स्वंय के नाम से ही आर.टी.ओ. ऑफिस में गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन है। अनावेदक नं. 2 व आवेदकगण की सांझा रूप से कोई मिश्रा ट्रेवल्स नहीं है, तमाम गलत कथनो को दर्ज करके उक्त प्रार्थना–पत्र पेश किया गया है जो खारीज होने योग्य है।

(क) आवेदकगण द्वारा दर्ज मद संख्या "क" जिस प्रकार से दर्ज है, गलत होने से अस्वीकार है। आवेदकगण द्वारा दर्ज कथन कि "शामलाती व शामलाती परिवार की आय से......दिनांक 05.05.2005 को तस्दीक करवाया" एक साथ अलग–अलग रूप से अस्वीकार है। वास्तम में अनावेदिका नं. 1 सम्पन्न परिवार की महिला थी, अनावेदक नं. 1 का विवाह हुआ तो अनावेदिका नं. 1 के पिता द्वारा अनावेदिका नं. 1 को गिफ्ट में स्त्रीधन व नगद रूपयें दिये गये थे, साथ ही अनावेदिका नं. 1 ने अपनी छोटी–छोटी बचतो से रूपये इक्कठे किये थे तथा अनावेदिका नं. 1 के पास पशुधन था, गायों का दुध विक्रय व पशुधन को विक्रय करके अनावेदिका नं. 1 ने धनराशि ईक्कठा की थी, अनावेदिका नं. 1 ने उक्त धनराशि का उपयोग नवलगढ़ में मकान खरीदने तथा जमीन खरीदने में किया था। स्त्रीधन व नगद रूपयो से ही ग्राम के ही श्यामसुन्दर व मंगतुराम की कृषि भूमि अवस्थित थी, जो बिकाऊ थी, अनावेदिका नं. 1 के पति का श्यामसुन्दर व मंगतुराम जी का अच्छा परिचय था, अनावेदिका नं. 1 की उक्त कृषि भूमि को खरीदने की ईच्छा थी, इसलिये मंगतुराम जी व श्यामसुन्दर जी से सौंदा किया गया। अनावेदिका नं. 1 के पति अनावेदक नं. 2 कलकता गये तथा भूमि खसरा नम्बर 628 का मुख्त्यारनामा अनावेदक नं. 2 के नाम तस्दीक करवाया गया तथा प्रतिफल की अदायगी की गई चूंकि अनावेदिका नं. 12 की स्वंय की धनराशि के बदले भूमि को क्रय [illegible] 1 के नाम से विक्रय–पत्र पंजीकृत हुआ है। इस प्रकार क्रयशुदा भूमि की एकमात्र [illegible] स्वामी अनावेदिका नं. 1 है। आवेदकगण ने उक्त मद में अनावेदक नं. 2 [illegible] अनावेदक नं. 2 के नाम तैयार करवाये संयुक्त हिन्दु परिवार होने [illegible] का माता स्नेह सम्मान में किसी प्रकार का पारिवारिका विवाद नहीं होने के तथ्य भी गलत द[illegible] किये गये है। आवेदकगण व अनावेदिका नं. 1 लगायत 3 का कोई संयुक्त हिन्दु परिवार नहीं है, प्रथम आवेदक नं. 2 अपने चाचा के गोद गया हुआ है, आवेदक नं. 1 का अलग अलग व्यापार है, अलग–अलग इनकम टेक्स डिपार्टमेन्ट में आयकर का भुगतान किया जाता है, अलग–अलग आयकर की फाईल बनी हुई है, अलग–अलग ही राशन कार्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 12:10:12 IST
Reason: SelfAttested

ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रै.)
नवलगढ

जारी है, कोई संयुक्त परिवार की आय नहीं है, ना ही संयुक्त परिवार में रहते है। अनावेदक नं. 1 व 2 की लगातार सेवा सुरक्षा अनावेदक नं. 4 व 5 द्वारा की जा रही है। आवेदकगण ने वेग कथन करके उक्त आधारहीन प्रार्थना–पत्र पेश किया है, जो खारीज होने योग्य है।

) प्रार्थना–पत्र की मद संख्या "ख" जिस प्रकार से दर्ज है, गलत होने से अस्वीकार है। विस्तृत जवाब मद संख्या 2 में दिया जा चुका है। भूमि खसरा नम्बर 843 महादेव ब्राह्मण से क्रय की गई है जिसकी प्रतिफल की अदायगी अनावेदक नं. 1 की स्वअर्जित राशि से की गई है, इस प्रकार उक्त भूमि की एकमात्र स्वामी व खातेदार अनावेददिका नं. 1 है, विक्रय–पत्र रजिस्टर्ड दस्तावेज है जो उक्त तथ्य को प्रमाणित करते है कि भूमि अनावेदक नं. 1 द्वारा क्रय की गई है, प्रतिफल की राशि का भुगतान भी अनावेदक नं. 1 के द्वारा ही किया गया है, क्रयशुदा सम्पति में किसी भी व्यक्ति का सीर व सांझा नहीं है, ना ही संयुक्त परिवार की किसी आय द्वारा क्रय की गई है। आवेदकगण ने दस्तावेजी साक्ष्य के विरूद्ध उक्त प्रार्थना–पत्र पेश किया है, जो खारीज होने योग्य है।

नोटः आवेदकगण द्वारा उक्त मद में दर्ज नोट जिस प्रकार से दर्ज है, गलत होने से अस्वीकार है। प्रथम आवेदक नं. 2 अनावेदक नं. 1 व 2 की संतान नहीं रही है, दत्तक जाने के बाद अनावेदक नं. 1 व 2 से संतान व माता पिता का संबंध नहीं है। आवेदक नं. 2 ने गलत रूप से पुत्र बनकर उक्त वाद पेश किया है, जहां तक अनावेदक नं. 1 की आय का प्रश्न है, अनावेदिका नं. 1 को विवाह में काफी धनराशि व स्त्रीधन बतौर उपहार मिले है, स्वंय ही बचते है। अनावेदिका नं. 1 के पास काफी वर्ष तक पशुधन रहा है, काफी गाये अनावेदिका नं. 1 के पास थी, जिसके दूध को भी विक्रय किया है, पशुओं को भी समय समय पर बेचा है जिससे आय होती रही है। इसलिये आवेदकगण का दर्ज कथन कि अनावेदिका नं. 1 की कोई आय का स्त्रोत नहीं है, हास्यापद है। जहां तक विक्रय–पत्र की भूमि का प्रतिफल आवेदकगण व अनावेदक नं. 3 द्वारा संयुक्त रूप से सांझा व्यापार से प्राप्त आय से क्रय करने का तथ्य है, गलत होने से अस्वीकार है। अनावेदिका नं. 1 ने अपनी धनराशि से भूमि क्रय की है जिससे आवेदकगण व अनावेदिका नं. 3 का 1/3–1/3 हिस्सा नहीं है, ना ही खातेदार काश्तकार है, ना ही कोई संयुक्त हिन्दु परिवार है, जहां तक ज्ञान का प्रश्न है, अनावेदिका नं. 1 को स्पष्ट रूप से ज्ञान है कि भूमि ग्राम झाझड़ में है जिसे अनावेदिका नं. 1 ने प्रतिफल की राशि अदा करके क्रय की है।

प्रार्थना–पत्र की मद नं. 3 जिस प्रकार से दर्ज है, गलत होने से अस्वीकार है। आवेदकगण व अनावेदक नं. 3 की अलग–अलग बसे है, अलग–अलग ही व्यापार है, अलग–अलग ही आय व व्यय है, किसरी प्रकार का आय व व्यय का आदान–प्रदान नहीं है, ना ही अविभाजित संयुक्त हिन्दु परिवार है, ना ही शामिल में कोई खर्चा करते है। उक्त मद में दर्ज कथन कि उपरोक्त वर्णित क्रयशुदा भूमि.......घोषणार्थ करना आवश्यक हुआ, अस्वीकार है। अनावेदक नं. 1 व 2 लगातार अनावेदक नं. 1 की स्वअर्जित सम्पति नवलगढ़ में स्थित मकान में निवास कर रहे है तथा वर्तमान में भी अनावेदक नं. 4 व 5 के पास ही रह रहे है जिनकी देखभाल व सेवा अनावेदक नं. 4 व 5 के द्वारा ही की जा रही है, जिससे प्रसन्न होकर ही अनावेदक नं. 1 ने अनावेदक नं. 4 व 5 को बतौर उपहार अपनी स्वअर्जित विवादित सम्पति दी गई है जिससे संबंध में किसी भी दीगर व्यक्ति को ऐतराज उठाने का अधिकार नहीं है। जहां तक अनावेदक नं. 1 व 2 की सोचने समझने भला बूरा आदि की शक्ति क्षीण होने का प्रश्न है, अनावेदक नं. 1 व 2 शारीरिक व मानसिंक रूप से स्वस्थ है जिन्हे न तो किसी ने धोखा दिया है, ना ही आवेदकगण व अनावेदक नं. 3 का सम्पति में कोई वैध अधिकार है, ना ही संयुक्त परिवार की आय से भूमि क्रय की गई है। विवादित सम्पति अनावेदक नं. 1 की स्वअर्जित सम्पति है रिकॉर्डेड खातेदार है, जिसको हर प्रकार से हस्तान्तरण करने का विधिक अधिकार है। आवेदकगण का विवादित सम्पति में कोई हक अधिकार नहीं है, इसलिये आवेदकगण को किसी प्रकार खातेदारी अधिकारो की घोषणा करवाने का अधिकार नहीं है, आवेदकगण का वाद हर्जे खर्चे सहित खारीज होने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally Signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 12:10:12 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना–पत्र की मद नं. 4 जिस प्रकार से दर्ज है, गलत होने से अस्वीकार है।आवेदकगण ने उक्त मद में उग्रदराज होने, गलत फायदा उठाने, अविभाजित परिवार होने, शामलाती भूमि क्रय करने, शामलाती रूप से काबिज व कब्जा करने, शामलाती रूप से स्वामित्व होने के तथ्य दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत दर्ज किये है। विवादित सम्पति अनावेदक नं. 1 की स्वअर्जित क्रयशुदा भूमि है जिसकी अनावेदक नं. 1 रिकॉर्डेड

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ

खातेदार काश्तकार है तथा स्वअर्जित सम्पति होने के आधार पर अनावेदक नं. 4 व 5 की सेवा से प्रसन्न होकर ही दिनांक 24.03.2021 को विधि अनुसार उपहार पत्र निष्पादित करवाये गये है तथा भौतिक रूप से अनावेदक नं. 4 व 5 को मौके पर कब्जा दिया गया है। आवेदकगण का विवादित सम्पति में कानूनन कोई हक व अधिकार नहीं है, ना ही आवेदकगण को उपहार पत्रो को चुनौति देने की लोकस स्टेण्डाइ है, उपहार पत्र विधि अनुसार निष्पादित किये गये है। इसलिये उपहार पत्र को वोइड घोषित करवाने अथवा घोषणा का वाद लाने का आवेदकगण को अधिकार नहीं है। प्रार्थना–पत्र आवेदकगण खारीज होने योग्य है।

प्रार्थना–पत्र की मद नं. 5 जिस प्रकार से दर्ज है, गलत होने से अस्वीकार है। आवेदकगण का दर्ज कथन कि अनावेदकगण नं. 3 लगायत 5 लाठी के.......बल पर कब्जा करने पर आमादा है, गलत होने से अस्वीकार है। आवेदकगण ने कब्जे से हटाने, भूमि को वेस्ट व डेमेज करने, दिनांक 23.03.2021 को धमकी देने का तथ्य गलत दर्ज किये है, जब आवेदकगण का विवादित सम्पति में विधिक अधिकार व कब्जा नहीं है तो कब्जे से हटाने व बेकब्जा करने के कथन दर्ज करने की कोई प्रासंगिकता नहीं है। विवादित सम्पति अनावेदक नं. 1 की स्वअर्जित क्रयशुदा भूमि है, अनावेदक नं. 1 के नाम से विक्रय–पत्र निष्पादित हुआ है, राजस्व रिकॉर्ड अनावेदक नं. 1 के नाम से बना है, अनावेदक नं. 1 ने अनावेदक नं. 4 व 5 के नाम से विधि अनुसार उपहार पत्र निष्पादित करवाये जाने के रोज से विवादित सम्पति पर अनावेदक नं. 4 व 5 का कब्जा काश्त है, वर्तमान में बाजरे की फसल काश्त की गई है, फलस्वरूप विवादित सम्पति के अनावेदक नं. 4 व 5 खातेदार काश्तकार है तथा भौतिक रूप से कब्जाधारी है। इसलिये खातेदार व काश्तकार तथा कब्जाधारी के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना–पत्रउ चलने योग्य नहीं है। आवेदकगण का ना तो प्रथम दृष्टया मामला है तथा ना ही सुविधा संतुलन भी आवेदकगण के पक्ष में है, ना ही किसी प्रकार की क्षति आवेदकगण को है, अगर उत्तरदाता को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया तो आवेदकगण की तुलना में उत्तरदाता को अपारक्षति होगी। आवेदकगण ने प्रार्थना–पत्र में रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने की रिलिफ डिमाण्ड की है, रिकॉर्ड आज अनावेदक नं. 4 व 5 के पक्ष में है, फलस्वरूप आवेदकगण द्वारा चाही गई रिलिफ के अनुसार ही आवेदकगण का प्रार्थना–पत्र खारीज होने योग्य है।

प्रार्थना–पत्र की मद नं. 6 जिस प्रकार से दर्ज है, गलत होने से अस्वीकार है। आवेदकगण का ना तो प्राईमाफेसी मामला है, ना ही सुविधा संतुलन आवेदकगण के पक्ष में है, ना ही आवेदकगण को किसी प्रकार की क्षति है। आवेदकगण ने प्रार्थना–पत्र के तीनो बिन्दुओं को न तो स्पष्ट किया है, ना ही तीनो बिन्दुओं के कन्टेन्टस को उक्त मद में दर्ज किया है। वास्तव में आवेदकगण ने दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत व तथ्यो को छुपाकर उक्त प्रार्थना–पत्र पेश किया है। अगर उत्तरदातागण को किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया तो आवेदकगण की तुलना में उत्तरदातागण को अपूर्णीय क्षति होगी, फलस्वरूप आवेदकगण का प्रार्थना–पत्र प्रथम दृष्टया ही खारीज होने योग्य है।

नोट : आवेदकगण ने प्रार्थना–पत्र में मद संख्या 7, 8, 9 को दर्ज नहीं किया है, इसलिये उक्त बाबत् जवाब दिया जाना संभव नहीं है। प्रार्थना–पत्र की मद नं. 10 नाकाबिल जवाब है।

अतिरोक्तर

आवेदकगण ने वाद–पत्र में अं. आदेश 7 नियम 1 की विशिष्टियों के अनुसार वाद–पत्र में वादकारण की विशिष्टी को दर्ज व उल्लेखित नहीं किया हैं, जो आज्ञापक प्रावधान है, फलस्वरूप वाद/प्रार्थना–पत्र आवेदकगण खारीज होने योग्य है।

आवेदकगण को उक्त वाद लाने का कोई वादकारण पैदा नहीं हुआ है, ना ही वाद प्रस्तुत करने हेतु आवेदकगण को वाद हेतुक है, इसलिये आवेदकगण का प्रार्थना–पत्र खारीज होने योग्य है।

विवादित सम्पति अनावेदक नं. 1 की स्वअर्जित सम्पति है जिसे अनावेदक नं. 1 ने जरिये विक्रय पत्र क्रय की है, अनावेदक नं. 1 के नाम से रजिस्टर्ड है तथा अपनी स्वअर्जित सम्पति को अनावेदक नं. 4 व 5 को बतौर उपहार दी है तथा भौतिक रूप से कब्जा संभला दिया है, इसलिये आवेदकगण को किसी प्रकार की घोषणा व विभाजन की डिमाण्ड करने का विधिक अधिकार नहीं है। वाद/प्रार्थना–पत्र पत्र आवेदकगण खारीज होने योग्य है।

आवेदक नं. 2 अपने चाचा रामवतार व चाची शशिकंला के गोद गया हुआ है, रामवतार व शशिकला के साथ राशन कार्ड बना हुआ है, मतदाता पहचान पत्र में भी पिता का नाम रामवतार दर्ज है,

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 12:10:12 IST
Reason: SelfAttested

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रै.)
नवलगढ

समाज की पत्रिका बनी हुई है जिसमें भी पिता का नाम रामवतार दर्ज है, इस प्रकार अनावेदक नं. 2 का दत्तक जाने के बाद भी अनावेदक नं. 1 व 2 का पुत्र बनकर उक्त गलत वाद/प्रार्थना–पत्र पेश किया है जो खारीज होने योग्य है।

आवेदकगण व अनावेदकगण का कोई संयुक्त परिवार नहीं है, सब अलग–अलग है, अलग–अलग राशन कार्ड है, अलग–अलग व्यापार है, अलग–अलग आयकर चुकाते है अर्थात आयकर की व्यक्तिगत फाईले बनी हुई है, संयुक्त परिवार की कोई आयकर फाईल नहीं है, मात्र विवादित सम्पति को हड़पने के लिये गलत प्लीडिंग लेकर मिथ्या कथनो को दर्ज करके उक्त वाद/ प्रार्थना–पत्र पेश किया है, जो खारीज होने योग्य है।

आवेदकगण ने तथाकथित रूप से संयुक्त परिवार का कथन दर्ज करके वाद/प्रार्थना–पत्र पेश किया है तथा आवेदकगण व अनावेदक नं. 3 के पक्ष में खातेदारी अधिकारो की घोषणा का वाद/प्रार्थना पत्र पेश किया है। अनावेदक नं. 1 व 2 के तीन पुत्रियां ओर है जो आवश्यक पक्षकार है जिन्हे वाद/प्रार्थना–पत्र में पक्षकार संयोजित नहीं किया गया है। इसलिये आवश्यक पक्षकार के अभाव में उक्त वाद/प्रार्थना–पत्र खारीज होने योग्य है।

आवेदकगण विवादित भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार नहीं है, ना ही काबिज काश्तकार है। जबकि अनावेदक नं. 1 रिकॉर्डेड खातेदार है तथा अनावेदक नं. 4 व 5 के पक्ष में स्वअर्जित सम्पति का उपहार पत्र निष्पादित किया गया है। इसलिये रिकॉर्डेड खातेदार व कब्जा धारक व रजिस्टर्ड दस्तावेज धारक के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना–पत्र पोषणीय नहीं होने से उक्त प्रार्थना–पत्र खारीज होने योग्य है।

आवेदकगण की प्लीडिंग सब्सटान्स के अनुसार माननीय न्यायालय को उक्त वाद सुनने का क्षैत्राधिकार नहीं है। इसलिये क्षैत्राधिकार के अभाव में वाद/प्रार्थना–पत्र खारीज होने योग्य है।

अतः जवाब प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र पेशकर निवेदन है कि आवेदकगण का प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय हर्जा खर्चा खारीज फरमाया जावें। प्रार्थना–पत्र की मद नं. 3 जिस प्रकार से दर्ज है, गलत होने से अस्वीकार है।

जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। बहस में वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को तथा वकील अप्रार्थी ने जवाब के तथ्यों को दोहराया। आवेदकगण अधिवक्ता ने दौराने बहस उज्र उठाया कि अनावदेक नम्बर 1 की मानसिक स्थिति ठीक नही है, दान पत्र कपट, अनुचित प्रभाव के आधार पर निष्पादित करवाया है। दान पत्र के निष्पादन के लिये जो नियम व शर्ते है उनको भी लागू नही किया गया है। दान पत्र पूर्णतया धोखे से निष्पादित किया गया जो शून्य है। अनावेदक संख्या 1 को दान पत्र निष्पादित करवाने का अधिकार नही है, क्योकि भूमि मिश्रा ट्रेवल्स के व्यापार से अर्जित आय से खरीदी गई है, जिसके खातेदार आवेदकगण व अनावेदक सख्या 3 ही है। अनावेदक नम्बर 1 के तो मात्र विक्रय पत्र बनाया गया था। हमारा संयुक्त परिवार है, संयुक्त परिवार होने के कारण आवेदकगण व अनावेदकगण संख्या 3 ही खातेदार है। दौराने बहस यह भी कथन किया गया कि आवेदक संख्या 2 किसी के भी गोद नही गया है, कोई गोदनामा ही नही है। जो दस्तावेज अनावेदकगण ने पेश किये है, फर्जी तैयार किये गये जो तय होना है वह साक्ष्य आने के पर तय होगा। इसलिए अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जानी न्यायोचित है क्योकि अनावेदकगण आवेदकगण को बदेखल कर कब्जा लेना चाहता है।

अनावेदगण के अधिवक्ता ने आवेदक के कथनों का दौराने बहस विरोध किया तथा कथन किया कि अनावेदक नम्बर 2 अपने चाचा रामवतार के गोद गया हुआ है। इस बाबत राशन कार्ड बना है, वोटर लिस्ट जारी है, यहां तक इनके समाज [illegible] पिता का नाम दर्ज है। इसलिये अनावेदक संख्या 2 को दावा/प्रार्थना पत्र पेश करने का [illegible] नही है। आवेदक अधिवक्ता का कथन कि अनावेदक संख्या 1 की मानसिक [illegible] अनुचित प्रभाव से बनाया है, धोखे से बनाया है पूर्णतया गलत है। [illegible] सहमति बिना किसी दवाब के बना है। आवेदकगण जिस प्रकार के कथनों का उल्लेख कर रहा है [illegible] कथन संविदा अधिनियम की धारा 12, 16, 17 की श्रेणी मे आते है। इस प्रकार के दस्तावेजत के बाबत जो उज्र उठाये है उनके बाबत राजस्व न्यायालय को निर्णय करने का अधिकार नही होकर सिविल न्यायालय को अधिकारिता है। आवेदकगण ने पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है कि मिश्रा ट्रेवल्स नाम की कोई फर्म हो जो आर.टी.ओ.

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 12:10:12 IST
Reason: SelfAttested

ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रै.)

ओ.टी.ओ. ऑफिस में पंजीकृत हो, उसके कौन कौन सदस्य है, उसकी आय क्या है और आय के आधार पर विवादित भूमि क्रय की गई हो। ना ही संयुक्त हिन्दु परिवार को परिभाषित किया गया है, कौन कर्ता है, कौन–कौन सहदायिक सदस्य है, यहां तक परसराम की तीन पुत्रियों को भी पक्षकार नहीं बनाया है। अनावेदक नम्बर 01 जो विवादित भूमि की खातेदार थी, को खातेदार ही नही मान रहे है, ना ही अनावेदक नम्बर 2 बाबत उल्लेख है आवेदकगण कौनसे संयुक्त परिवार होने को दर्ज कर रहे है। आवेदकगण स्वयं भ्रमित है कि उनकी डिमाण्ड वास्तविक स्वामी के आधार पर है या संयुक्त हिन्दु परिवार के आधार पर है। वास्तव में कोई संयुक्त हिन्दु परिवार नही है ना ही कोई व्यापार है ना ही मिश्रा ट्रेवल्स फर्म है ना ही इसकी आय है, ना ही ट्रेवल्स की आय से विवादित भूमि खरीदी गई है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 101 के अनुसार मामले को आवेदकगण को साबित करना है, जो दस्तावेजों के आधार पर साबित नही किया है। विवादित सम्पति अनावेदक नम्बर 01 की खरीद शुदा स्व–अर्जित सम्पति है। जहां तक गोद का प्रश्न है, दस्तावेजी साक्ष्य से आवेदक नम्बर 2 गोद गया हुआ है। हिन्दु धर्म के अनुसार गोद के लिए गोद लेने व देने की रश्में महत्वपूर्ण है जो निष्पादित हुई है, जो गोद को पूर्णता प्रदान करती है। विभिन्न टीका टीपण्णी कार व हिन्दु धर्म के जानकार बौध्यायन मिमांसा ने यही मत अभिव्यक्त किया है कि गोद की रश्म महत्वपूर्ण है गोद की रजिस्ट्री अनिवार्य नही है, गोद की रजिस्ट्री मात्र एक सम्पोषक साक्ष्य मानी जाती है। इसी प्रकार राजस्व अभिलेख में भी आवेदकगण का नाम दर्ज नही है, अर्थात अभिलिखित खातेदार नही हैं। भूमि के बाबत पैतृकता व गलत रिकार्ड के बाबत वाद पेश नही है इसलिये रिकार्डेड खातेदार व रजिस्टर्ड दान पत्र धारक के विरूद्ध व कब्जा धारक के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। आवेदकगण का ना तो प्रथम दृष्टया मामला है, ना ही सुविधा का संतुलन आवेदकगण के पक्ष में है ना ही कोई अपूरणीय क्षति है जबकि तुलनात्मक रूप से अनावेदकगण को क्षति कारित होगी यदि कोई स्थगन आदेश प्रभाव में रहता। इसलिए आवेदकगण के प्रार्थना पत्र को खारीज करने का निवेदन किया गया हैं।

आवेदकगण की और से निम्न न्यायिक दृष्टांत 2016 (1) RLW Page no.275 तथा RLW 2007(1) Rj page no. 145 तथा अनावेदकगण की ओर से निम्नांकित न्यायिक दृष्टांत पेश किये गये RRD 1994 Page no.333, RLW 2004 RJ Page no.609 तथा हिन्दु दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम आदि पेश किये

पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के निस्तारण हेतु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु तय करना अनिवार्य है। अतः सर्वप्रथम इन तीन बिन्दुओं को तय करना उचित है :–

1. प्रथम दृष्टया मामला
2. सुविधा का संतुलन
3. अपूरणीय क्षति

- **प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन :– दोनों बिन्दुओ का एक साथ विवेचन किया जा रहा है।**

यह निर्विवादित है कि विवादित भूमि के संबंध में विक्रय पत्र अनावेदक नम्बर 1 के नाम पंजीकृत हुये है तथा विक्रय पत्रों के आधार पर खातेदारी अनावेदक नम्बर 1 के नाम से जमाबंदी में अंकित हुई है। अनावेदक नम्बर 1 ने विवादित भूमि को जरिये दान पत्र अनावदेक नम्बर 4 व 5 को प्रदान की है। आवेदकगण ने उक्त दान पत्रों को वाद पत्र के माध्यम से चुनौती दी है कि दान पत्र में दी गई भूमि के आवेदकगण व अनावेदकगण नम्बर 3 खातेदार है जिन्होने मिश्रा ट्रेवल्स की आय से मात्र सामाजिक रीति रिवाज के आधार पर विवादित भूमि का विक्रय पत्र अनावेदक नम्बर 1 के नाम से निष्पादित करवाया है साथ ही संयुक्त हिन्दु परिवार होना दर्ज करके उक्त खातेदारी [illegible] की घोषणा का दावा लाया गया जिसका अनावेदकगण ने विरोध किया है। यहां महत्वपूर्ण प्रश्न [illegible] भी है [illegible] आवेदकगण संयुक्त हिन्दु परिवार की थ्योरी के आधार पर आये है परन्तु वाद [illegible] नही किया है कि संयुक्त हिन्दु परिवार किन–किन से बना है, कौन–कौन सदस्य है, क्या पुत्रियां संयुक्त परिवार की सदस्य नही होती है, क्या ससुराल रहने पर सदस्य नही रहती। ऐसा पत्रावली में [illegible] भी अंकन नही है। प्रार्थना पत्र के पठन से एक तथ्य यह भी आया है कि आवेदकगण व्यापार की आय के आधार पर विवादित भूमि को खरीदना बता रहे है तो आवेदकगण का वाद वास्तविक स्वामी का है या संयुक्त हिन्दु परिवार का, एक दूसरे के

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 12:10:12 IST
Reason: SelfAttested

ए. सी. इ. एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ

विरोधाभाषी कथनों को प्रमाणित करते है। क्योकि वास्तविक स्वामी होना व संयुक्त परिवार की होना अलग–अलग कथनों का परिचायक हैं। यहां यह भी गौर का विषय है कि आवेदकगण ने पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है, कि आवेदकगण व अनावेदकगण का संयुक्त हिन्दु परिवार हो, मिश्रा ट्रेवल्स नाम की कोई पंजीकृत फर्म हो, उसकी कोई आय हो या मिश्रा ट्रेवल्स के नाम से कोई भूमि को क्रय की गई हो, मिश्रा ट्रेवल्स केनाम से कोई टैक्स का भुगतान किया जाता हो। आवेदकगण ने मात्र मौखिक कथनों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया है। आवेदकगण ने एक बैंक का दस्तावेज पेश किया है, जो मात्र पवन कुमार व परसुराम द्वारा एक वाहन खरीदना दर्शित करता है जो कि संयुक्त हिन्दु परिवार होने का परिचायक नहीं है। सांझा व्यापार अलग–अलग परिवार में भी हो सकता है। अन्य दस्तावेजात में एक सादा पेपर है, जिसमें हिसाब होना आवेदकगण ने कथन किया है जबकि उस पर कहीं उल्लेख नही है कि उक्त दस्तावेज किस प्रयोजन हेतु है। जहां तक अनावेदकगण के दस्तावेजों का प्रश्न है राशन कार्ड भी अलग जारी होने एवं टैक्स की अलग–अलग भुगतान को दर्शाता है। यहां यह प्रश्न भी न्यायालय के समक्ष आया है कि अनावेदक नम्बर 2 गोद गया है या नही उक्त तथ्य प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में तय नही करना है, ना ही खातेदारी घोषित करनी है। हालांकि गोद जाने के दस्तावेज रिकार्ड पर है, परन्तु विक्रय पत्र जो पंजीकृत हुआ है वह अनावेदक नम्बर 1 के नाम से पंजीकृत है। राजस्व रिकार्ड अनावेदक नम्बर 1 के नाम से है। अनावेदक नम्बर 1 ने दान पत्र अनावेदक नम्बर 4 व 5 के नाम से पंजीकृत करवाया है। आवेदकगण विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार नही है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम के निर्णय के समय यह देखना है कि आवेदकगण ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में पुख्ता दस्तावेजी साक्ष्य पेश किये है या नही, जो रिकार्ड पर नही है। राजस्व रिकॉर्ड आवेदकगण के नाम से दर्ज नही है। यहां तक पवन कुमार का परशुराम का पुत्र होनें संबंधी साक्ष्य पत्रावली पर नही है। दान–पत्र को जिन आधारों पर चुनौती दौराने बहस दी गई है न्यायालय हाजा के क्षैत्राधिकार के बिन्दु नहीं है। अतः आवेदकगण के पक्ष में कोई प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रतीत नही होता।

- **अपूरणीय क्षति** :– चूंकि प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन आवेदकगण के पक्ष में नही है तो आवेदकगण को अपूरणीय क्षति घटित नही होती है।

–:: आदेश ::–

उपरोक्त विवेचना अनुसार आवेदकगण द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा सारहीन होने, दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव तथा रिकार्डेड खातेदार नही होने के कारण प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा आधारहीन है। लिहाजा प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान् अपना अपना वहन करेगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 13.01.2022 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(दमयंती कंवर)
पी.ई.एस. (फा. टै.)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
नवलगढ़
मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 12:10:12 IST
Reason: SelfAttested